[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 01 अप्रैल, 2019

आय-कर

सा.का.नि. 279(अ)–केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 139 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (दूसरा संशोधन) नियम, 2019 है ।

(2) ये 1 अप्रैल, 2019 से प्रवृत्त होंगे ।

2. आय-कर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 12 में,--

(क) उपनियम (1) में,--

(I) आरंभिक भाग में "2018" अंकों के स्थान पर, "2019" अंक रखे जाएंगे ;

(II) खंड (क) में परंतुक में मद (Ig) के पश्चात् निम्नलिखित मदें अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

"(Ih) जिसने धारा 57 के अधीन, उसके खंड (iiक) के अधीन दावा की गई कटौती से भिन्न कटौती का दावा किया है ;

(Ii) जो किसी कंपनी में निदेशक है ;

(Ij) जिसने पूर्व वर्ष के दौरान किसी समय कोई असूचीबद्ध साम्या शेयर धारण किए हैं ;

(Ik) संपूर्ण आय या उसके किसी भाग के लिए, जिस पर निर्धारिती से भिन्न किसी व्यक्ति के हाथों स्रोत पर कर की कटौती की गई है, निर्धारणीय है";

(III) खंड (गक) में,--

(i) आरंभिक भाग में "हिन्दू अविभक्त कुटुंब या किसी सीमित दायित्व भागीदारी फर्म से भिन्न कोई फर्म है," शब्दों के स्थान पर, "हिन्दू अविभक्त कुटुंब, जो मामूली तौर पर निवासी से भिन्न निवासी है या सीमित दायित्व भागीदारी फर्म से भिन्न कोई फर्म, जो निवासी है" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) परंतुक में मद (I) के स्थान पर निम्नलिखित मदें रखी जाएंगी, अर्थात् :--

"(I) के पास भारत से बाहर अवस्थित आस्तियां (जिसके अंतर्गत किसी अस्तित्व में वित्तीय हित सम्मिलित) हैं;

(Iक) के पास भारत से बाहर अवस्थित किसी खाते में हस्ताक्षर करने का प्राधिकार है ;

(Iख) भारत से बाहर किसी स्रोत से आय है ;

(Iग) के पास धारा 5क के उपबंधों के अनुसार प्रभाजित किए जाने के लिए आय है ;

(Iघ) किसी कंपनी में निदेशक है ;

(Iङ) पूर्व वर्ष के दौरान किसी समय कोई असूचीबद्ध साम्या शेयर धारण किए हैं ;

(Iच) के पास पचास लाख रुपए से अधिक कुल आय है ;

(Iछ) के पास एक से अधिक गृह संपत्ति है, जिसकी आय "गृह संपत्ति से आय" शीर्ष के अधीन प्रभार्य है ;

(Iज) के पास कोई अग्रनीत हानि है या आय के किसी शीर्ष के अधीन हानि अग्रनीत की जानी है ;

(Iझ) संपूर्ण आय या उसके किसी भाग के लिए, जिस पर निर्धारिती से भिन्न किसी व्यक्ति के हाथों स्रोत पर कर की कटौती की गई है, निर्धारणीय है ;

(IV) खंड (छ) में "या उपधारा (4ङ) या उपधारा (4छ)" शब्दों, कोष्ठकों, अंकों और अक्षरों का लोप किया जाएगा;

(ख) उपनियम (3) में, सारणी में, स्तंभ (i) में क्रम सं.1 की प्रविष्टियों के सामने, स्तंभ (iii) में मद (ख) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(ख) जहां पूर्व वर्ष के दौरान किसी व्यक्ति की, जो पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय अस्सी वर्ष या उससे अधिक आयु का है, अधिनियम के अधीन कुल आयु प्रभार्य है और जो प्ररूप संख्या सहज (आईटीआर-1) या प्ररूप संख्या सुगम (आईटीआर-4) में विवरणी प्रस्तुत करता है ।";

(ग) उपनियम (5) में, "2017" अंकों के स्थान पर, "2018" अंक रखे जाएंगे ।

3. मूल नियमों की परिशिष्ट (II) में, "प्ररूप सहज (आईटीआर-1), "प्ररूप आईटीआर-2, प्ररूप आईटीआर-3, प्ररूप सुगम (आईटीआर-4), प्ररूप आईटीआर-5, प्ररूप आईटीआर-6, प्ररूप आईटीआर-7 और प्ररूप आईटीआर-V के स्थान पर क्रमश: निम्नलिखित प्ररूप रखे जाएंगे, अर्थात्:--

[अधिसूचना सं0. 32 /2019 फा0सं0. 370142/1/2019-टीपीएल]

(सौरभ गुप्ता)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. का.आ. 969(अ) तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन आय-कर (पहला संशोधन) नियम, 2019, अधिसूचना संख्यांक. सा.का.नि. 76(अ) तारीख 30 जनवरी, 2019 द्वारा किया गया ।